

वाराणी ज्ञानालय जोखा SDOF दिनांक 11/10/—

न्यायिक उपचिता पिकारी/उत्तिकलें तहसील- फैजपुर, बाराणी।
दिनांक तिथि 2 /2010

उत्तर- उमर तेंडा, परमा -
हुती, तहसील- फैजपुर
पिका - बाराणी।

रामेश बाजार
पाटा 143 वडोदारो ल' मुखि ११०३४५

आटेगा

प्रश्ननगत वाट में वाटो ने गाटा तिथि 1125/0-240 हेठो व गाटा 1139/0-575 हेठो कृत दो किता ०.८१५ हेठो जात्यु ३८.५० पैका जो उत्तरे नाम नं. 1417-1422 पर वो खाँनी के बाता तिथा ३७१ पर लौकीय मुखिय दर्ज है। पर हृषि छार्हे ते उन्हा कार्य हेतु अर्थात् औपोगिड के पोखिया करने का ग्राम्यकार के ताथ ————— उत्तरोप किया गया है, वाटो के उपचिता दारा बहुत में कहा गया कियित १० ल्हाँ ते उन्हा मूखि पर हृषि छार्हे नहीं हो रहा है। उक्ता मूखि जो औपोगिड/बागियक योखिया कर देना बाहता है। पत्राको वा उत्तरोड़न किया गया। इस खाँनी में वाटो का नाम उक्त गाटा तिथा पर दर्ज है।

उक्त प्रार्थना-पत्र जो जाँप तहसीलदार फैजपुर ते करायी गयी। तहसीलदार फैजपुर दारा उक्त क्षेत्रसभा को औपोगिड पोखिया कोई जाने वो जाक्का नियत आरद्य पर, वह आवधा तंत्सुकी तहित प्रेक्षिका को गयी है। तहसीलदार फैजपुर दारा उक्त आवधा में कोई प्रतिकूल आवधा प्रस्तुत नहीं दो गयी है। इत्तिहास गैर कृषि, औपोगिड पोखिया किये जाने में कोई किरणियु अद्यतन नहीं है।

आतः मैं दान घन्दू तरोज उपचिता पिकारी/उत्तिकलें फैजपुर, बाराणी को
श्राम उमर तेंडा की गाटा तिथा 1139 व 1125 वो वाटो के प्रार्थना-पत्र स्वर्ग ग्राम्यकार
तथा खाँनी को त्वान में तेती हुए औपोगिड के पोखिया करता हूँ। आटेगा वो प्राप्ति
उपचिता पिकारी फैजपुर व तहसीलदार फैजपुर वो लेखी जाए। वाट आवधक छार्हवाहो
पत्राकलो तंत्यित ज्ञानिकागार हो।

दिनांक ०१०१-२०१०

०१०१-१०
१ दान घन्दू तरोज ।
उपचिता पिकारी/उत्तिकलें फैजपुर

बाराणी ।
०१०१-१०

मैं दान घन्दू तरोज
उपचिता पिकारी/उत्तिकलें फैजपुर
दान घन्दू तरोज २०१०-१०
गाटा नं. १७६ फैजपुर, बाराणी
उपचिता पिकारी/उत्तिकलें फैजपुर

બોર્ડપાત્ર નામના સાથે સારી ફોટો 26.06.2023



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिल्लापिकारी
मण्डल : अशोध्या, ज़िल्हा : बाराबकी, तहसील : कतेहुपुर
वाद संख्या :- 4768/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202241248034768
मायर्स आनन्द आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत पारा:- 80, अधिनिवड़ :- उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता - 2006

वाद संख्या १५३(तर्ज २०२३)

अन्तर्राष्ट्रीय धारा 80(2) उपलब्ध राजस्व संहिता, 2006 नियमावधी—2018 ग्राम— अवरसन्दा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला—बायाकंडी।
उत्तर प्रदेश सरकार

माया आपन्ह आहि

बनाम
विषय

निर्णय

प्रस्तुत याद घार-80 उपर्योग राजस्व संहिता-2008 के अन्तर्गत अधिकार इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट सोशल हार्ट सोशल हार्ट लखनऊ द्वारा जब्त की राजकुमार गुप्ता पुत्र रामलक्ष्मन निवासी 4/1066 वी विकासनगर लखनऊ व प्रबन्धक श्रीमती माया आनन्द उर्जा मायाकरी देवी पत्नी बीएस० गुप्ता निवासी 8/340 विकासनगर लखनऊ द्वारा संचालित द्रस्ट अधिकार इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट सोशल फाउन्डेशन संक्षिप्त में एस्ट फाउन्डेशन पंजीकृत कार्यालय 8/340 विकासनगर जनपद लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आनंदाइन आवेदन पत्र पर तहसीलदार फतेहपुर छारा नियम प्रारूप पर प्रेषित ज्ञालय दिनांक 26.08.2023 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी हारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या 00072 की गाटा संख्या 1123/0.75क्र००१ स्थित ग्राम झमरसान्डा परगना कुर्सी तहसील फटेहपुर जनपद बाराबंकी वादी के नाम बटौर संकरणीय चूमिवर, दर्ज सप्तकारी कागजात है। वादी हारा यह अद्वितीय कागजावा ग्राम है कि चपरोक्त चूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न जाने के कारण उक्त चूमि को और कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में तहसीलदार फॉरेंपुर द्वारा प्रेषित जॉच आर्था दिनांक 26-06-2023 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अप्रिलेखों के अध्यार पर वादी के नाम खतीनी फ० वर्ष 1429-1434 की स्थाता संख्या 00072 की नाट्य संख्या 1123/0.75980 को घारा-80(2) साजस्व सहित-2008 के अन्तर्गत गैरकृतिक प्रश्नोजन हेतु घोषित किए जाने की उदाधोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिक्रियाओं के अधीन की जा रही है-

राजस्व ग्राम का नाम अमरसन्धि परगना कर्त्तव्य चुदमील फटेहपुर।

R-B' ENCL⁹

H.B-15

पृष्ठ संख्या :

2-वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3-वादीजन द्वारा आवेदित रकमा 0.759 लाख अकृतिक प्रयोजन से उपयोग किया जा रहा है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कट्टकट पालन से नहीं है।

4-उम्मीद राजस्व सहिता नियमावधी-2016 की धारा-85 (2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्वाचित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्धोषण प्रश्नगत रकम के कृपि प्रयोजन के लिए निर्वाचित सर्किल रेट के अनुसार उद्धोषण शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रूप 54700-00 बालान संख्या FQ 14 दिनांक 26.06.2023 व न्याय शुल्क के रूप में रुपया 54700/- इ स्टाप संख्या RD 0002013118 दिनांक 26.06.2023 व विभाजन शुल्क के रूप में रुपया 1000/- बालान संख्या FQ 13 दिनांक 26.06.2023 को दाखिल किया गया है।

5- चौके यादी द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से मिन प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमाबली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उत्तिक्षित राजस्व सहित-2006 की पारा-22 (2) के अनुसार उदधोषणा शुल्क व न्याय शुल्क जरिये चातान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा किया गया है।

६—इस उद्घोषणा में भूमि पर अकृतिक गतिविधियों विघ्मान होने के आधार पर भूमि को गैर कृतिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु नात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिक्रेप की भौमि नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में वार्दी हारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृतिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस चद्घोषणा को रचत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं नाना जायेगा। इस सम्बन्ध में गादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

४-इस उद्घोषणा का विनियमित हेत्र गहायोजना/जिला प्रबाधित बारावका पर यह अपने पढ़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग ते अनापत्ति प्राप्त करना एवं नानिचित्र स्वीकृत कराना होगा जिस विनियमित हेत्र गहायोजना/जिला प्रबाधित योजना का पालन करना होगा।

९—आवेदित गाटा संख्या में कन्य सहस्रात्मेवर है जिनका जनापति विषयक शपथ पत्र संलग्न है।

उआवेदन गांव संघ्या नं ३४८ तहसीलदार है। यह अमरसन्धा ज़तएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। जहां ग्राम अमरसन्धा परस्यना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी रियात भूमि खाता संघ्या ०००७२ की गांव तंत्या ११२३ स्कन्धा ०.७५५हेटू घूरजा १८.७५ रुपया को कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण ११२३ घारा-८०(२) उपराजनस्व संहिता-२००६ के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार फतेहपुर द्वारा संस्तुति संहित प्रेषित की गयी है। तहसीलदार फतेहपुर की जॉच आख्या एवं पत्रावली पर चपलब साथ्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का रक्कड़ा ०.७५५हेटू गैरकृषिक घोषित किया जा सकता है। यह उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-२००६ की घारा-८०(२) के अन्तर्गत गैरकृषिक भूमि प्रस्तावित किये जाने में कोई विधिक झ़द्दन नहीं है।

आदेश

अब ग्राम अमरसन्दा परखना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी की खतीनी फट वर्ष 1429-1434 की खाता संख्या 00072 पर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट सोशाइटी द्वारा अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र रामसखन नियासी 4/1066 वी विकासनगर लखनऊ व प्रबन्धक श्रीमती माया जानन्द उर्फ मायाकृष्ण देवी पत्नी बीएसएल 0 गुप्ता नियासी 8/340 विकासनगर लखनऊ द्वारा संचालित ट्रस्ट अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट सोशल फाउन्डेशन संस्थित में एन्स फाउन्डेशन पंजीकृत कार्यालय 8/340 विकासनगर जनपद लखनऊ के नाम संकमणीय भूमियर अकित नूरि गाटा संख्या 1123/0.758400 नूरिया 18.75 रुपया को घारा-80(2) उपग्रहणसं-2006 के अन्तर्गत गैर कृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आवेदकगानों को घारा 80(2) उपग्रहणसं-2006 द्वारा संशोधित जायादेश-2019 की शर्तों का अकारण पालन करना होगा। यदि उत्तिष्ठित गाटा संख्या के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकरण में आता है तो उपग्रहणसं-2006 की घारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परखना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिवन्धक प्रतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली संधित अभिलेखागां द्वारा दिनांक-

SDS

गोपालगंड उप जिला बकारी
 अर्थात् गुजराते दरधास्त नकल 30-6-23
 वारीख मकल तेपारी ८१-०३-२३
 गदाद कोटि फारम ३-२७-००
 गदाद रख ५६०४२६५ लाइन
 दस्तावेज नकल नवीना
 तराव देवे नकल 01/07-22

Digitized by srujanika@gmail.com

(८०) सोधन कुमार दमा
उपजिलाधिकारी
फतेहपुर-बाराबंकी

१९४८ अक्टूबर, बागबहार